ग्राम पंचायत इन्दौरा, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा, हि• प्र• –176401 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023

भाग–एक

1. **(क)प्रस्तावना**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत इन्दौरा, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा हि० प्र० के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधानः–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री भूपाल सिंह	01.04.2021 से 31.03.2023

सचिव :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री करतार चन्द	01.04.2021 से 31.03.2023

तकनीकी सहायक :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री कमलजीत	01.04.2021 से 13.01.2022
2	श्री कर्ण सिंह	14.01.2022 से 31.03.2023

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री वलवीर सिंह	01.04.2021 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत इन्दौरा के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र	पैरा सं•	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषो में अन्तर पाया जाना	0.11
2	5.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	35.84
3	6.1	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	2.05
4	7.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक का क्रय करना	2.25
5	7.2	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना	0.54
6	7.3	संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही अनियमित भुगतान करना	12.66
7	10	माप पुस्तिकाओं अंकेक्षणार्थ को प्रस्तुत न करना	12.66

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:–

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत इन्दौरा का गत अंकेक्षण अवधि 01/04/2018 से 31/03/2020 के लिये किया गया था जिसके शेष पैरो पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरो की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित है:–

अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2018 से 31/03/2020 तक

क्र0सं0	पैरा स.	निर्णीत/अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क प्राप्ति की पुष्टि उपरान्त
2.	4	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान

3.	5.1(क)	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान
4.	5.2	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान
5.	6	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान
6	7	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान
7	8.1	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान
8	8.2	अनिर्णीत	—
9	9	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान
10	10	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान
11	11	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान
12	12	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान
13	13	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत इन्दौरा के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक व श्री दीपक सिंह पठानियां, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 18.12.2023 से 23.12.2023 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः–

वर्ष	आय	व्यय
2021–22	08/2021	10/2021
2022–23	04/2022	10/2022

अस्वीकरणः–वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹ 6400/– आंका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2023/–279 दिनांक 23.12.2023 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक इन्दौरा के मल्टीसिटी चैक संख्या 057566 दिनांक 11.01.2024 द्वारा निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4.1 (क).वित्तीय स्थितिः–

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का./2023/–272 दिनांकः 18.12.2023 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया हैः–

1.स्वः—स्त्रोतः—

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4—5)
1	2	3	4	5	6
2021—22	146870	535804	682674	540632	142042
2022—23	142042	234034	376076	300821	75255

2.अनुदानः—

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4—5)
1	2	3	4	5	6
2021—22	1503018	3988148	5491166	3247801	2243365
2022—23	2243365	4778890	7022255	3438561	3583694

कुल योग (1+2) 75255+3583694 = **3658949**

(ख) बैंक समाधान विवरणीः—

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2023 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति से ₹3658949/— तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष ₹36,69,471 /— से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः—

	बैंक खातों की विवरणीः—			
क्र0 सं0	**विवरण**	**बैंक**	**खाता**	**अन्त शेष (₹)**
1	स्वःस्त्रोत/एम.एम.जी.पी.वाई	का•के•सह•बैंक इन्दौरा	20076007077	73305
2	तीसरा वित	का•के•सह•बैंक इन्दौरा	50055723717	124556
3	वी.के.वी.एन.वाई/एस.डी.पी	का•के•सह•बैंक इन्दौरा	50055723740	95410
4	एम.पी.लेड/एस.डी.आर.एफ	का•के•सह•बैंक इन्दौरा	50063644587	323659
5	टी.एस.सी/एस.बी.एम	का•के•सह•बैंक इन्दौरा	50055723762	681

6	एन.आर.एच.एम	का•के•सह•बैंक इन्दौरा	50055723784	5314
7	13वाँ वित्तायोग	का•के•सह•बैंक इन्दौरा	50055723739	144
8	14वाँ वित्तायोग	का•के•सह•बैंक इन्दौरा	50063644543	2329
9	15वाँ वित्तायोग/पी. एस/जेड.पी	केनरा बैंक इन्दौरा	5137101001831	3028757
10	पी.एफ.एम.एस/एस.बी.एम			15300
11	पी.एम.के.एस.वाई			16
12	हस्तगत शेष			0
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2023 का कुल योगः				₹3669471
दिनांक 31.03.2023 को बैंक समाधान विवरणी :–				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार (पैरा 4) अन्तशेषः–				₹3658949
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2023 का अन्तशेषः–				₹3669471
अन्तरः–				10522

नोटः– अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

(ग) रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹0.11 लाख का अन्तर पाया जानाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत इन्दौरा द्वारा हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2023 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹10,522/- का अन्तर बैंक में अधिक शेष के रूप में पाया गया, जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/276 दिनांकः 20.12.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके उत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–आई.एन.डी/2023–24 दिनांक 23.12.2023 द्वारा दिया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए वर्तमान में अन्तर का शीघ्रातिशीघ्र मिलान करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार

प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके तथा बैंक एंव रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

(घ) लेखा खाता/खाताबही तैयार न करना:–

हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप–7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस–किस कार्य हेतु कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई व किस–किस कार्य पर कितना–कितना व्यय हुआ है तथा किस कार्य को पूरा किया जा चुका है। यह एक गम्भीर अनियमितता है। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/277 दिनांकः 22/12/2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या आई.एन.डी/2023–24 दिनांक 23.12.2023 द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान समय से खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार किये जा रहे है। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया है।

अतः अंकेक्षण अवधि की खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अंकेक्षण अवधि की खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जाये व कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(ङ) खाता–क व खाता–ख का रख–रखाव अलग–अलग न रखना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई सहिंता सख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिये पंचायत निधि खाता–क खोला जायेगा। इसी तरह नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिये आबंटित निधियां और प्राप्त ऋण हेतु खाता–ख खोला जायेगा। इसके अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच–एच.ए (5) सी (15) –(13) (एल) 5–47005–81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

ग्राम पंचायत इन्दौरा द्वारा स्वः स्त्रोत व अनुदान राशि का खाता–क व खाता–ख अलग –अलग से तैयार नहीं किया गया था बल्कि स्वः स्त्रोत व अनुदानों की, सयुंक्त रोकड़ बही लगाई गई थी तथा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार स्वःस्त्रोत, एम.एम.जी.पी.वाई

आदि शीर्षों के अन्तर्गत सभा निधि के लिये नियमों एंव निर्देशों के विरूद्ध एक खाता 20076007077 खोला गया था तथा वी.के.वी.वाई.एन/एस.डी.पी के लिये एक खाता 50055723740 व एम.पी.लेड/एस.डी.आर.एफ, के लिये एक खाता 50063644587 खोला गया था। जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। जोकि नियमो के विपरीत है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/277 दिनांकः 22.12.2023 द्वारा अनुरोध किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या आई.एन.डी/2023–24 दिनांक 23.12.2023 द्वारा दिया गया उत्तर कि भविष्य में खाता–क व खाता–ख का अलग–अलग अनुसंधारण कर दिया जायेगा।

अतः नियमानुसार व निर्देशानुसार रोकड़ बही एवं स्कीमवार बैंक खातों का रख–रखाव न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में खाता–क व खाता–ख के अनुरूप रोकड़ बही एवं बैंक खातों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5.1 अनुदान की राशि ₹35.84 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/–272 दिनांक 18.12.2023 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1 व परिशिष्ट–2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2023 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹35,83,694/– की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

क.स.	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1.	टी.एस.सी/एस.बी.एम	31.03.2023	681
2	एन.आर.एन.एम	31.03.2023	5314
3	एम.पी.लेड/एस.डी.आर.एफ	31.03.2023	323659
4	तीसरा वित	31.03.2023	124556
5	वी.के.वी.वाई.एन/एस.डी.पी	31.03.2023	29846
6	13वॉं वित्तायोग	31.03.2023	144
6	14वॉं वित्तायोग	31.03.2023	2329

8	15वाँ वित्तायोग / जेड.पी / पी.एस	31.03.2023	3081849
9	पी.एफ.एम.एस / एस.बी.एम	31.03.2023	15300
10	पी.एम.के.एस.वाई	31.03.2023	16
		कुल जोड	3583694

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने से यह पंचायत पीछे है। विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था परन्तु ऐसा न होने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

5.2 अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 61(1) के अंतर्गत उल्लेखित फार्म 21 के अनुसार अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्रस्तुत अनुदानों की वित्तीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः भविष्य में नियमों के अनुसार रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन (Update) करके समस्त प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेखाकंन अनुदान रजिस्टर में करने उपरांत अंकेक्षण सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

6. सम्पति कर / गृहकर की ₹2.05 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत द्वारा सम्पति कर / गृहकर की वसूली की जानी अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2023 / –272 दिनांकः 18 / 12 / 2023 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत निम्न तालिका व **परिशिष्ट–"3"** में दिये गये विवरणानुसार सम्पति कर / गृहकर की मद में ₹2,05,190 / – की राशि दिनांक

31.03.2023 को वसूली हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि ₹
2021–22	285490	1192	50/20	57380	342870	206700	136170
2022–23	136170	1410	50/30	69020	205190	0	205190
नोटः– दिनाँक 31.03.2023 को बकाया सम्पति कर/गृहकर की राशि ₹ 205190/– है।							

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.1 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.25 लाख के स्टॉक का क्रय करना :–

ANNUAL REPORT

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

ग्राम पंचायत इन्दौरा के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–"4"** में दिए गए विवरणानुसार ₹2,24,740/– का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/277 दिनांकः 22/12/2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या आई.एन. डी/2023–24 दिनांकः 23.12.2023 द्वारा सूचित किया गया भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके सामान क्रय किया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर संतोषजनक नहीं पाया गया है।

अतः इस अनियमितता का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7.2 खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करने फलस्वरूप सरकारी कोष को ₹0.54 लाख की राजस्व हानिः–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म W या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरो से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा।

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–" 5"** पर संलग्न चुनिन्दा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹54,100/– का अनियमित भुगतान किया गया था।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/277 दिनांकः 22.12.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– आई.एन. डी/2023–24/01 दिनांक 23.12.2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की राशि की कटौती कर ली जायेगी। दिया गया उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नही है, क्योंकि ट्रांजिट पास फॉर्म को उपलब्ध न करवाने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री की राशि का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 प्रतिशत पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः उक्त किये गये अनियमित भुगतान को या तो समर्थित अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853" नॉन फैरस माइनिंग एवं मेटोलोजिकल इंडस्टीज उप–शीर्ष "102" मिनरल कनसेशन फीस किराया एवं रॉयल्टीस "81"खनिज फीस रियायत आदि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। पूर्वोक्त मामलों के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई निर्माण सामग्री हेतु रॉयल्टी की राशि की संस्था/विभागीय स्तर पर समुचित गणना कर उसकी भी वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.3 संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹12.66 लाख का अनियमित भुगतान करनाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया

ANNUAL REPORT

जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो।

ग्राम पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही (पैरा संख्या 8 के अनुसार) ₹12,66,145/– का भुगतान किया गया था जोकि उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है, जिसके अभाव में किये गये भुगतानों की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकती। यह एक अत्यंत गम्भीर अनियमितता है।

इस गम्भीर प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/277 दिनांक: 22/12/2023 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत इन्दौरा के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या आई.एन.डी/2023–24/01 दिनांक 23.12.2023 द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान समय से इन नियमो की अनुपालना की जा रही है जोकि अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण स्वीकार्य/सन्तोषजनक नहीं है।

अतः नियमों के विरूद्ध किये गये भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

7.4 सभा निधि में प्राप्त राशि ₹0.20 लाख को बैंक में जमा न करवाने व सीधे खर्च करने बारे:–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(2) के अनुसार पंचायत द्वारा आय में प्राप्त धन राशियों को सम्बंधित बैंक खातो में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत इन्दौरा के लेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्वः स्त्रोतों से वसूल की गई निम्नविवरणानुसार आय को बैंक में जमा न करवाकर बिजली बिल, कार्यालय व्यय इत्यादि के लिये सीधे खर्च कर दिया गया था, जिससे कि पंचायत स्वः–स्त्रोतों की आय के दुर्विनयोजन की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। यह न केवल गम्भीर अनियमितता है बल्कि आपतिजनक भी है। इस गम्भीर प्रकरण को अंकेक्षण के दौरान ही अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/277 दिनांक: 22/12/2023 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत इन्दौरा के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या आई.एन.डी/2023–24/01 दिनांक: 23.12.2023 द्वारा दिया गया उतर कि वर्तमान समय से नकद में भुगतान नहीं किया जा रहा। दिया गया उतर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः नियमों के विरूद्ध किये गये भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

आय का विवरणः–

वित्तीय वर्ष	वर्ष के दौरान प्राप्त आय (₹)	बैंक में जमा करवाई गई राशि (₹)	बैंक में कम जमा करवाई गई राशि (₹)	विवरण
2021–22	19690	निल	19690	सम्पति कर से प्राप्त

व्यय का विवरणः–

क्र0सं0	वाउचर स0/ दिनांक	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	व्यय विवरण	व्यय राशि (₹)
1	21/27.09.21	निल	बिजली बिल	9398
2	27/12.11.21	निल	बिजली बिल	1292
3	30/08.12.21	निल	कार्यालय व्यय	9000
			कुल योग	**19690**

7.5 15वें वित आयोग से राशि ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान करने बारेः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 76 के अनुसार यदि किसी बिल/वाउचर का वास्तविक भुगतान से अधिक भुगतान किया जाता है तो पंचायत सचिव व्यक्तिगत तौर पर तत्परता से अधिक किये गये भुगतान का वसूली करने का जिम्मेवार होगा।

अकेक्षण के दौरान नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार 15वे वित्त आयोग से सामग्री खरीदने के लिये राशि ₹1000/– का अधिक भुगतान किया गया था, जोकि एक गम्भीर अनियमितता हैः–

अनुदान	वाउचर स0/ दिनांक	आपूर्तिकर्ता का नाम	सामग्री	वास्तविक देय भुगतान	किया गया भुगतान	अधिक भुगतान
15 वां वित	7/ 16.10.2021	मै0 महावीर ट्रेडर्स इन्दौरा	टी.एम.टी सरिया (12एमएम) (08एमएम) वाइंडिंग वायर	38204 (30982+ +6586+ 636)	39204	1000

15 वां वित आयोग के अन्तर्गत अधिक भुगतान करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/–277 दिनांकः 22/12/2023 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत इन्दौरा के ध्यानार्थ लाया गया। उक्त अधिक किये गये भुगतान को रसीद संख्या 0262933 द्वारा खाता संख्या 20076007077 में दिनांक 29.12.2023 को जमा करवा दी गई है। जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है।

8 ₹12.66 लाख के निर्माण कार्यो की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारेः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अकेक्षण के दौरान निम्न विवरणानुसार राशि ₹12,66,145/– के निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सकाः–

क्र0 सं0	अनुदान	वाउचर सख्या/दिनांक	निर्माण कार्य का नाम	राशि (₹)
1	एस.डी.आर.एफ	03,12,13,14/06.10.2022,11.10.22	रोड सुरक्षा दीवार मृदा कटाव रोकने हेतु शीतला माता मन्दिर	136223
2	एस.डी.आर.एफ	5,6,9,10,11/06.10.21,11.10.22	नि0 सुरक्षा दीवार रास्ते हेतु और धुसि शीतला माता मन्दिर की ओर नजदीक तारा खड मोहाल	168832
3	एस.डी.आर.एफ	07,15/06.10.20,12.10.22	नि0 रास्ता सुरक्षा दीवार के साथ बाड सुरक्षा हेतु रोड से शीतला माता मन्दिर	183776
4	एस.डी.आर.एफ	08,17,16,18/11.10.2022	सुरक्षा दीवार और रास्ता नजदीक विजय,जोगिन्द्र व विश्नदास के घर इत्यादि	132499
5	15वां वित्त	2,3,4,5,6,7,23–37/16.10.21	अपूर्ण डेन और रास्ता सुभाष चन्द्र के घर से तेज राम के घर तक	367856
6	एन.आर.एच. एम/15वां वित्त	2,6,7,8/16.10.21	नि0 सार्वजनिक शौचालय नजदीक वैरियर चौक इन्दौरा	180500

7	15वां वित्त	10 / 16.10.21	मुरम्मत डेन और रास्ता जसवीर कटोच के घर से चौक तक	53631
8	सभा निधि / 15वां वित्त	24,23 / 16.10.21	पूर्ण रास्ता सुभाष के घर से तेज राम के घर तक	42828
			कुल योग	**1266145**

उक्त निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे सचिव ग्राम पंचायत इन्दौरा से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2023 / 277 दिनांकः 22 / 12 / 2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या आई.एन.डी / 2023–24 / 01 दिनांक 23.12.2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि आगामी अंकेक्षण में माप पुस्तिकाओं को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर अस्पष्ट होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः संबंधित माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न कर पाने का औचित्य स्पष्ट करते हुये अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

9 **निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां:–**

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल / वाउचरों के नमूना अंकेक्षण तथा पैरा संख्या 8 में दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:–

1.नियम 96(1) की अनुपालना में अनुभागी / संकर्म समिति नहीं बनाई गई थी जिसके साथ निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत द्वारा उक्त नियमावली के "**परिशिष्ट – ई**" में दिए गए "अनुबन्ध" प्रारूप में अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित था।

2.हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के उप नियम 93 (1) (ए) के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन करना अनिवार्य है ताकि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। अंकेक्षण अवधि के अंतर्गत ग्राम पंचायत इन्दौरा द्वारा निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन नहीं किया गया व सभी कार्य सहभागी समिति के अनुमोदन के बिना स्वंय करवाए गए है, जोकि पंचायती राज अधिनियम 2002 के अध्याय– ग्यारह के नियम 93 की अवहेलना है।

3.किसी भी योजना में निर्माण सामग्री आपूर्ती के बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

4.निर्माण कार्यो के बिलो के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस,रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की थी।

इन अनियमितताओं बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/277 दिनांक: 22.12.2023 द्वार सचिव ग्राम पंचायत इन्दौरा को अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या आई.एन.डी/2023–24/01 दिनांक 23.12.2023 द्वारा सूचित किया गया कि वतर्मान समय से इन नियमों की अनुपालना की जा रही है।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखो का अनुरक्षण न करना:–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि॰ प्र॰ पंचायती राज सामान्य नियम 34 के अन्तर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक: राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/272 दिनांक: 18.12.2023 के क्रमांक 9 में माँगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव कार्यालय पत्र संख्या आई.एन.डी/2023–24/01 दिनांक 23.12.2023 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों की नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखों का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	वर्गीकृत सार	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप–5"

			के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
7	निर्माण कार्य रजिस्टर	....	103
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
9	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	....	....
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इस अभिलेख का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

11. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

अतः समय–समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/–272 दिनांकः 18.12.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या आई.एन. डी/2023–24/01 दिनांक 23.12.2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रत्युतर तर्कसंगत प्रतीत नहीं है।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपतियांः–

12.1 रसीद बुकों का स्टॉक नियमानुसार न रखा जानाः–

रसीद बुकों के स्टॉक की जाँच में पाया गया कि इसे हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (5) के प्रावधानो के अनुसार नहीं रखा जा रहा था। इस नियम के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त खाली रसीद बुकों का अभिलेखन सामान्य स्टॉक रजिस्टर से अलग हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में प्रावधित फॉर्म–2 में रसीदों के स्टॉक रजिस्टर में रखा जायेगा।

इसके अतिरिक्त हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13 (5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि वह जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत/खाली रसीदों को प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप–4 के अनुसार बनाए गये स्टॉक रजिस्टर में रखे। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान इस प्रकार का कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया था, जिस कारण से अंकेक्षण अवधि के दौरान खरीदी गयी तथा प्रयोग की गई रसीदों का न तो संकलित विवरण तैयार किया जा सका तथा न ही अंकेक्षण जाँच संभव हो पाई है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि के दौरान लेखांकित की गई आय भी रसीदों के अभिलेख के अभाव में संदिग्ध हो जाती है। अतः इस अनियमितता के बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान खरीदी गई रसीदों का अभिलेख पंचायत अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके इनके प्रयोग का विवरण तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13 **लघु आपति विवरणिकाः–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

14 **निष्कर्ष:–** लेखों के रख रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय–2 पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है जिस कारण से लेखाओं के रख–रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

1 2 MAR 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का0/प्रति

1207 – 1211

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)277/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत इन्दौरा, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

1 2 MAR 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का0/प्रति

ANNEXURE-1 (पैरा संख्या- 4.1(क))

FINANCIAL POSITION OF GP INDORA FOR THE YESR 2021-2022 to 2022-2023

1. OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING THE YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BLANCE
2021-2022	146870	535804	682674	540632	142042
2022-2023	142042	234034	376076	300821	75255

2. GRANTS IN AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING THE YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BLANCE
2021-2022	1503018	3988148	5491166	3247801	2243365
2022-2023	2243365	4778890	7022255	3438561	3583694

Secretary
Gram Panchayat INDORA
Dev. Block Indora (Kangra) H.P

ANNEXURE-2 (पैरा संख्या -"51")

FINANCIAL POSITION OF GRANTS-IN-AID OF GP INDORA OF THE YEAR 2021-2022 TO 2022-2023

PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING THE YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BLANCE
TSC/SBM	2021-2022	641	20	661	0	661
	2022-2023	661	20	681	0	681
NRHM	2021-2022	12551	203449	216000	130630	85370
	2022-2023	85370	1314	86684	81370	5314
MPLAD/ SDRF	2021-2022	86335	553415	639750	41117	598633
	2022-2023	598633	734347	1332980	1009321	323659
3RD STATE	2021-2022	103721	309261	412982	275700	137282
	2022-2023	137282	321378	458660	334104	124556
VKVNY/ SDP	2021-2022	36798	211960	248758	234433	14325
	2022-2023	14325	152809	167134	137288	29846
13TH	2021-2022	31337	377	31714	31574	140
	2022-2023	140	4	144	0	144
14TH	2021-2022	215762	552737	768499	766234	2265
	2022-2023	2265	64	2329	0	2329
15TH/ZP/PS	2021-2022	1015873	2023970	3039843	1635154	1404689
	2022-2023	1404689	2883954	4288643	1206794	3081849
PFMS /SBM	2021-2022	0	0	0	0	0
	2022-2023	0	310000	310000	294700	15300
PMKSY	2021-2022	0	0	0	0	0
	2022-2023	0	375000	375000	374984	16
MNREGA	2021-2022	0	132959	132959	132959	0
	2022-2023	0	0	0	0	0

Secretary
Gram Panchayat INDIRA
Dev. Block Indora (Kangra) H.P.

-74- (21)

(परिशिष्ट--"3" पैरा सख्यां "6.1" के सन्दर्भ में)

कार्यालय ग्राम पचांयत इन्दौरा,विकास खण्ड इन्दौरा जिला कांगडा हि0प्र0 176401

दिनांक 31–03–2023 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पति कर/गृहकरः–

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2021–22 में 1192 तथा 2022–23 में 1410 परिवारों का रु 50/20 व 50/30 प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर सेः–

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि ₹
2021–22	285490	1192	50/20	57380	342870	206700	136170
2022–23	136170	1410	50/30	69020	205190	0	205190
	नोटः– दिनाँक 31.03.2023 को बकाया गृहकर की राशि ₹ 205190/– है।						

2021–22 :– ए.पी.एल परिवारो की स0 – 1118X50 =55900

बी.पी.एल परिवारो की स0 – 74X20 = 1480

2022–23 :– ए.पी.एल परिवारो की स0 – 1336X50 =66800

बी.पी.एल परिवारो की स0 – 74X30 =2220

Secretary Gram Panchayat INDORA Dev. Block Indora (Kangra) H.P.

(22)

परिशिष्ट–"4"

ग्राम पंचायत इन्दौरा विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश औपचारिकताओं को पूर्ण किये विना स्टॉक/स्टोर कय करना। पैरा संख्या– "71" में संदर्भित।

अनुदान	वो.स./ दिनांक	समाग्री का विवरण	विल.स./ दिनांक	मात्रा/रेट	आपूर्तिकर्ता	राशि ₹	टिप्पणी
1.15वां वित	2/ 16.10.21	रेत बजरी (5% GST के साथ)	62/21.12. 2020	35cu3@1300 60cu3@1100	मै0 रजिन्द्र सिंह सरकारी ठेकेदार इन्दौरा	47775 69300	दो निविदाये
2.14वां वित	2/ 16.10.21	रेत बजरी20mm बजरी10mm (5% GST के साथ)	077/ 25.08.21	6.5cu3@1300 04cu3@1100 3.5cu3@1100	मै0 रजिन्द्र सिंह सरकारी ठेकेदार इन्दौरा	8872 4620 4043	दो निविदाये
3.एन.आर. एच.एम	2/ 16.10.21	रेत बजरी20mm (5% GST के साथ)	078/ 30.09.21	08cu3@1300 01cu3@1100	मै0 रजिन्द्र सिंह सरकारी ठेकेदार इन्दौरा	10920 1155	दो निविदाये
4.15वां वित	3/ 16.10. 2021	शटरिंग सीमेंट भाडा मिक्चर वाटर टैंक	निल/ 28.12.2021	144sq2@10 430@25 12@500 12@500	मै0 रजिन्द्र सिंह सरकारी ठेकेदार इन्दौरा	1440 10750 6000 6000	दो निविदाये
5.एन.आर. एच.एम	7/ 16.10.21	रेत बजरी20mm बजरी20mm (5% GST के साथ)	106/ 25.08.21	11cu3@1300 20cu3@1100 15cu3@1000	मै0 रजिन्द्र सिंह सरकारी ठेकेदार इन्दौरा	15015 23100 15750	दो निविदाये
				कुल जोड़		224740	

Secretary
Gram Panchayat Indora
Dev. Block Indora (Kangra) H.P.

23

परिशिष्ट– 5

ग्राम पंचायत इन्दौरा खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रायल्टी की कटौती न करने से राजस्व हानि (पैरा–"7.2" के सन्दर्भ में)

क्र.	आपूर्तिकर्ता का नाम	वो0स0 / दि0 / वि0स0	मद का नाम	मात्रा (cft/ sq.ft)	मात्रा (Cu.m)	निर्धारित फैकटर	मात्रा मी0टन (MT)	रोयल्टी प्रति (MT)	राशि (₹)
	2021–22								
	अनुदान – ,15वां वित,एन.आर.एच.एम,14वां वित								
1.	मै0 रजिन्द्रर सिंह सरकारी ठेकेदार इन्दौरा	2,2 / 16.10.21 / 62,077,078	रेत बजरी बोल्डर	– – –	71 127 –	1.62 1.52 2.24	115 193 –	80 80 80	9200 15440 –
								जोड	24640
								पेनल्टी 25 %	6160
								जोड	30800
	2022–23								
	अनुदान –एस.डी.आर.एफ								
2.	मै0 रजिन्द्रर सिंह सरकारी ठेकेदार इन्दौरा	09,11,13,14,17,15,16 / 11.10.22,12.10.22 / 23,22,30,29,25,28,26	रेत बजरी बोल्डर	– – –	60.5 88.5 –	1.62 1.52 2.24	98 135 –	80 80 80	7840 10800
								जोड	18640
								पेनल्टी 25 %	4660
								जोड	23300
								कुल जोड(1+2)	54100

Secretary
Gram Panchayat INDORA
Dev. Block Indora (Kangra) H.P

(24)